न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 1/21 **सन् 2021**

RCMS NO-2021/ 8

बउनवानीः–1. काडी पुत्री प्रहलाद पत्नि रामधन मीना निवासी सेलू हाल नि0 अजनोटी
2. परसादी पुत्री प्रहलाद पत्नि राजाराम मीना नि0 सेलू, हाल निवासी जौला
3. सन्तो पुत्री प्रहलाद पत्नि चिरंजी मीना निवासी सेलू, हाल निवासी डेकवा
4. मन्तो पुत्री प्रहलाद पत्नि कैलाश मीना निवासी सेलू, हाल निवासी डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. गिरधारी पुत्र बलराम जाति मीना निवासी सेलू सवाईमाधोपुर
2. परमानन्द पुत्र बलराम जाति मीना निवासी सेलू सवाईमाधोपुर
3. रामचन्द्री पत्नि बलराम जाति मीना निवासी सेलू सवाईमाधोपुर
4. नन्दपाल पुत्र प्रहलाद जाति मीना निवासी सेलू सवाईमाधोपुर
5. तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 32 निर्णय दिनांक 4.6.1993 वाके ग्राम सेलू तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री बच्चू सिंह जाट — वकील अपीलान्ट
2. श्री राधेश्याम जोगी — वकील रेस्पो0

–: निर्णय :– **दिनांक 24.01.2023**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 32 नर्णय दिनांक 4.6.1993 वाके ग्राम सेलू तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक प्रहलाद मीना के वारिसान की सही जॉच नही की गयी है केवल मात्र पटवारी हल्का के द्वारा बिना जानकारी किये भरे गये नामा0 को तस्दीक कर दिया गया जो गलत है। यह तर्क भी दिया कि मृतक पून्या का एक मात्र पुत्र प्रहलाद [illegible] क्रमशः बलराम व नन्दपाल एवं चार पुत्रिया क्रमशः काडी, प्रसादी सन्तो, [illegible]। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 32 [illegible] 1993 वाके ग्राम सेलू केवल मात्र रेस्पो. संख्या 1 व 2 के पिता [illegible] रेस्पो. संख्या [illegible] नन्दपाल एवं मृतक प्रहलाद की पत्नि पांची [illegible] वारिसान के नाम) [illegible] दर्ज फैसल किया गया है जबकि उक्त नामा0 हम अपीलान्ट सहित 1/7 हिस्से मे खुलना चाहिए था परन्तु रेस्पो. संख्या 1 लगायत 2 के पिता एवं रेस्पो0 संख्या 4 द्वारा पटवार हल्का से सांझ कर हम अपीलान्टगण के नाम से नामा0 नही खुलवाकर अपने स्वंय के नाम ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:30:15 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नामा0 खुलवाया गया है। यह तर्क भी दिया कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 द्वारा हम अपीलान्ट को वार–त्यौहार, शादी–विवाह तथा अन्य धार्मिक कार्योक्रमों मे बुलाना एवं नोता देना , आना जाना बन्द कर दिया गया है अर्थात रेस्पो0 1 लगायत 4 द्वारा हम अपीलान्ट को मानने से इन्कार कर दिया है। आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 3.1.2021 को अपने वकील साहब के बताये जाने पर प्राप्त हुई है एंव प्राप्त जानकारी से अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो. द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रथम तो अपील मयाद बाहर है तथा आदेश जैर अपील की जानकारी जरिये अधिवक्ता होना बताया गया है जो विधिसम्मत नही है क्योकि राजस्व रिकार्ड की जानकारी पटवारी से ही प्राप्त हो सकती है। यह कथन भी किया कि अपीलान्टगण को हम रेस्पो0 समय समय पर बुलाते है तथा इनके मान सम्मान मे कोई कमी नही छोडते है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट एवं रेस्पो0 मीना जाति से संबंधित होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम मीना जाति पर लागू नही होता है इसलिए पुत्रियों को पिता की विरासत मे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होने के कारण आदेश जैर अपील में अपीलान्टगण का नाम दर्ज नही किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया ।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट एवं रेस्पो0 मृतक प्रहलाद पुत्र पून्या के विधिक वारिसान है तथा आदेश जैर अपील केवल मात्र मृतक प्रहलाद के दोनो पुत्र बलराम व नन्दपाल एवं प्रहलाद की पत्नि पांची के नाम दर्ज फैसल किया गया है जबकि उक्त नामा0 मे अपीलान्टगण जो कि मृतक प्रहलाद की पुत्रिया का नाम भी दर्ज होना चाहिए था। चूंकि आदेश जैर अपील मृतक प्रहलाद के सभी विधिक वारिसान के नाम दर्ज नही होने के कारण विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। इसलिए तहसीलदार सवाईमाधोपुर से प्रकरण का पुनः परीक्षण करवाया जाना उचित समझता हूॅ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक प्रहलाद के सभी विधिक वारिसान की जॉच कर सभी विधिक वारिसान के नाम पुनः नये सिरे से नामा0 भरकर दर्ज फैसल किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को [illegible] में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:30:15 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर